

विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये
अतारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तर

प्रश्न

13- (क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों को मनरेगा के वित्तीय वर्ष 2022-23 में पक्के कार्यों के एफ0टी0ओ0 डिलीट कर दिये गये हैं?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त वित्तीय वर्ष के पक्के कार्यों के एफ0टी0ओ0 डिलीट कराने के क्या कारण हैं?

(ग) क्या उक्त वित्तीय वर्ष के डिलीट एफ0टी0ओ0 के कार्यों की फीडिंग कराकर सदन को अवगत करायेंगे?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हाँ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा होल्डिंग एकाउन्ट मॉड्यूल लागू करने के पश्चात जनपदों द्वारा डी0एस0सी0 के माध्यम से एफ0टी0ओ0 साइन करने पर एजेंसी ऑफ डी0एस0सी0 इज नाट मैचड का इरर मैसेज प्रदर्शित होने के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व से सृजित समस्त एफ0टी0ओ0 को रिवर्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में पक्के कार्यों के एफ0टी0ओ0 रिवर्ट किये गये थे।

मनरेगा राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय पत्र दिनांक 31-05-2023 द्वारा रिवर्ट किये गये एफ0टी0ओ0 को पुनः रिजनरेट करने की कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया था। कार्यों के बिल बाउचर यथावत फीड हैं, उन्हें डिलीट नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री।